घीसु एवं बनाम सलीम एवं मु. न. 80/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.4.25	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने अन्य न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.5.25 को पेश हो।	
15.5.25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.5.25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
19.5.25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20/5/25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
20/5/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 80 / 2022

घीसू खां पुत्र सुल्तान खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम खेड़ी ढूकिया हाल निवासी वार्ड संख्या 1 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। फौत

1/1 जरीना बानो पुत्र आयु 63 साल बेवाह घीसू खां निवासिनी वार्ड नम्बर 1 तोदी कॉलेज के सामने, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

1/2 रूबीना बानो आयु 35 साल पुत्री मरहूम घीसू खां पत्नी इमरान खान वार्ड नम्बर 29 नदीपुरा मोहल्ला नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

1/3 नदीम खान आयु 29 साल पुत्र मरहूम घीसू खां निवासी वार्ड नम्बर 1 तोदी कॉलेज के सामने लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

1/4 रिना बानो आयु 26 साल पुत्री मरहूम घीसू खां पत्नी हनीफ अली निवासिनी वार्ड नम्बर 1 तोदी कॉलेज के सामने लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सलीम खां आयु 38 साल पुत्र कासिम खां
2 मकसूद खां आयु 40 साल पुत्र कासिम खां
3 बाबू खां आयु 51 साल पुत्र कासिम खां
4 सदीक खां आयु 46 साल पुत्र कासिम खां
5 परवीन बानो आयु 44 साल पुत्र कासिम खां
6 बतुल बानों आयु 68 साल पत्नी कासिम खां

समस्त जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम कांट तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

7 इब्राहीम खां आयु 46 साल पुत्र हासम खां
8 सवाई खां आयु 69 साल पुत्र भंवरू खां
9 सुभान खां आयु 61 साल पुत्र भंवरू खां
10 मांगू खां आयु 51 साल पुत्र मरहूम मुकारब खां
11 जाकिर खां आयु 48 साल पुत्र मरहूम मुकारब खां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 महबूब आयु 41 साल पुत्र मरहूम मुकारब खां
13 साबिर आयु 36 साल पुत्र मुकारब खां
समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड नम्बर 1 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 रामावतार आयु 56 साल दत्तक पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी खेड़ी ढूकिया तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
15 शाखा प्रबंधक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ पीठासीन अधिकारी कुलराज मीना आरएएस
उनवानी घीसू खां बनाम सलीम खां आदि मुकदमा नम्बर
62/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सुमित गौड़ , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री हारून अहमद, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20/5/25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 62/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थन पत्र अ. धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 136 हाल 136/5/1, 136/4 वाके ग्राम खेड़ी ढूकिया का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2019 को प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके व रिकार्ड का स्थगन जारी किया। दिनांक 09.06.2022 को विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर बहस सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.06.2019 को अपास्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक प्रार्थन पत्र अ. धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 136 हाल 136/5/1, 136/4 वाके ग्राम खेड़ी ढूकिया का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2019 को प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर मौके व रिकार्ड का स्थगन जारी किया। दिनांक 09.06.2022 को विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर बहस सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.06.2019 को अपास्त कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2019 को एक आवेदन मौका कमिश्नर पेश किया गया था जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई जवाब आज दिवस तक नहीं दिया गया परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर आवेदन को नजर अंदाज करके अपीलान्ट का अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 12.06.2019 को दिनांक 09.06.2022 को वैकेट करने में भारी भूल की है जबकि अपीलान्ट का वाद उद्घोषणा का था, उद्घोषणा का वाद होने के कारण अपीलान्ट के पक्ष में तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन पक्ष में होते हुए भी विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर स्थगन जारी किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2019 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी के संदर्भ में किसी प्रकार के नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये है। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलान्ट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के अन्तर्गत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वैकेट करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2019 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा अप्रार्थीगण की तलबी के संदर्भ में किसी प्रकार के नोटिस प्रस्तुत नहीं किये गये है। स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलान्ट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आदेश 39 नियम 4 सीपीसी के अन्तर्गत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वैकेट करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर